


विज्ञापित संख्या-03/2023

जिले की अधीनस्थ परियोजनाओं के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र से मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र में क्रमोन्नत हुए आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहायिका पद हेतु स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं- रिक्त पदों हेतु पदवार आंगनबाड़ी केन्द्रों के नाम:-

परियोजना नाम	रिक्त पद का विवरण
तारानगर	सहायिका - राधेश्याम की ढाणी/महात्मा/चलकोई खिचडान/चूराराम की ढाणी/छतूसिंह की ढाणी/विधराणा / ढाणी बावरियान/घासला आधुणा/जिकसाना टिब्बा/गोगटिया पट्टा चंगोई/इन्दासी/विल्लिया (अजा)/बडा झाडसर/नरसिंहनगर/
रतनगढ	सहायिका - भरपालसर चारनान(अ.जा.)/भानूदा चारणान (अ.जा.)/थामडा की ढाणी/बाढा की ढाणी/चक्र रतनगढ/हुडेरा सिद्धान/बेगाराम की ढाणी(अ.जा.)/चतरसिंह की ढाणी/सांवतिया/महला की ढाणी/रुस्तम धोरा /कानसूजिया की ढाणी/अर्जुनराम की ढाणी/कुरडाराम की ढाणी/हरिपुरा
चूरु (शहर)	सहायिका- न.प.चूरु वार्ड नं. नया 01 केन्द्र संख्या 03-चतुर्थ/ न.प.चूरु वार्ड नं. नया 13 केन्द्र संख्या 03-पंचम (अल्पसंख्यक)/ न.प.चूरु वार्ड नं. नया 20 केन्द्र संख्या 12-तृतीय/ न.प.चूरु वार्ड नं. नया 21 केन्द्र संख्या 13-तृतीय/ न.प.चूरु वार्ड नं. नया 28 केन्द्र संख्या 14-द्वितीय/ न.प.चूरु वार्ड नं. नया 33 केन्द्र संख्या 21-चतुर्थ/ न.प.चूरु वार्ड नं. नया 55 केन्द्र संख्या 38-तृतीय
बीदासर	सहायिका- डिगारिया नया बास(अ.जा.)/डिगारिया गोगान(अ.जा.)/बैनाथा उपाध्याय/ढाणी रावली/भोमपुरा/केशुलाई(अजा)/करनाडी/सुनाडी ताल/राजपूतों की ढाणी/जिनाना ताल(अजा)/नरखडिया/गोगलाईताल(अ.जा.)/
चूरु (ग्रामीण)	सहायिका- ढाणी पन्नेसिंह/डाबला/बास जसवन्तपुरा/आसलू स्टेशन/बणी का बास/भूरकाना ढाणी/थालोडी/बास महलाना/कायमखानी मोहल्ला सहजुसर (अल्पसंख्यक)/ढाणी कुनसीसर/धीरासर बीकान (अ.जा.)/बिकासी/भोलूसर
सरदारशहर	सहायिका- ढाणी हुणताराम/सवाई बलवानिया/ढाणी ईमरताराम/ढाणी रायकान/ढाणी मूलाराम/कुन्तलसर/ढाणी भाटियान (अ.ज.जा.)/ढाणी जोखा (अ.जा.)/ढाणी ईसरदास/आसपालसर लालेरा/आसपालसर खामेरा/आसपालसर धूरकेरा (अ.जा.)/फोगां भोगान/जोरावरपुरा/सोमनसर/ढाणी कालेरा/रामसीसर पडिहारान/उडसर भेभरान/मलसीसर/सिंगडी/ढाणी पोटलिया/नैणासर/ढाणी दुधगीर/जैतसीसरिया/न.पा.सरदारशहर वार्ड नं. पुराना 19 नया 25,सरदारशहर
सुजानगढ	सहायिका - खीचीवाला/लोणा/ढिकला ढाणी/खण्डाप (अ.जा.)/मेघवालों की ढाणी (अ.जा.)/
राजगढ	सहायिका - चनाना बडा/सरदारपुरा (सिद्धमुख)/चाहरवाला/लुटाना मंगनी बास/लुटाना अमीचन्द/बास धेतरवाल
राजगढ ग्रामीण	सहायिका - जयपुरिया पट्टा/ढाणी सांगवान/काजला की ढाणी/हरपालु रामसुख (अजा)/शीलानगर (अजा)/बिका की ढाणी/खीवा की ढाणी/डाबली ढाणी (अजा)/इन्द्रा कॉलोनी (अजा)/नेत की ढाणी/जगमाल की ढाणी/ढाणी हरिजन (हमीरवास)(अजा)/ढाणी हाथी (अजा)/ढाणी हरिजन (जसवंतपुरा)(अजा)/सुखावास/यादवनगर/बास चनानी

- ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थान के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बारहवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- विज्ञापित जारी होने की तिथि तक आवेदक की आयु 18-35 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आंगनबाड़ी मानदेय सेवा का कार्मिक सेवा करते हुए यदि पुनः किसी मानदेय सेवा के लिए आवेदन करता है तो उन पर आयु सीमा की बाध्यता लागू नहीं होगी।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है।
- विधवा हेतु प्रमाण-पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम न्यायालय से जारी डिक्री/आदेश की प्रति तथा आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन आवश्यक होगा।
- विभिन्न पदों के लिए चयन हेतु विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं 57871-58286 दिनांक 01.03.2023 के अनुसार मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित है जिसे सम्बन्धित परियोजना कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाईट पर देखा जा सकता है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर विभागीय परिपत्र अनुसार अंक निर्धारित कर वरीयता सूची से चयन किया जावेगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञापित जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

9. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 के अनुसार आर्थिक कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
10. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
11. आवेदन पत्र के साथ (1) अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बंधी अंकतालिका/प्रमाण पत्र (2) सेकण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण पत्र (3) बीएड/एनटीटी/डीपीएसई/बीएसटीसी/डीएलएड डिप्लोमा (यदि लागू हो तो) (4) मतदाता पहचान पत्र/राशनकार्ड/आधार/जनआधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र (5) अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग/दिव्यांग जन होने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (6) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/शिशु पालनागृह कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 01 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (7) एएनएम/जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (8) RSCIT/PGDCA/O-level/Telly के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) (9) विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) इत्यादि दस्तोवेजों की स्वप्रमाणित प्रति अनिवार्यतः संलग्न की जावे।
12. जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/अल्प संख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जायेगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जायेगी।
13. आवेदन फार्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेज दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः दिनांक 02.04.2024 को सांय 05.00 बजे तक जमा करा सकेगे। अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगे।
14. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन जमा करवाये जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की कमी पूर्ति हेतु संलग्न किये जाने से वंचित दस्तावेज को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर विज्ञप्ति में वर्णित आवेदन जमा करवाये जाने के अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र में सम्मिलित करवाया जा सकेगा, परन्तु अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार के दस्तावेज को शामिल नहीं किया जायेगा।
15. इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट wcd.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका चयन संबंधी विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 एवं 57871-58286 दिनांक 01.03.2023 से प्राप्त की जा सकती है।
16. सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्राप्ति रशीद अवश्य प्राप्त करें।


——
(डॉ. नरेन्द्र शेखावत)

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
चूरु (राज0)
दिनांक :-05.03.2024

क्रमांक :- 860-870

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित - श्रीमान निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

1. श्रीमान जिला कलक्टर, चूरु।
2. श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति दो (2) राज्य स्तरीय समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में DIPR दर पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करावें।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरु।
4. श्रीमान जनसम्पर्क अधिकारी, चूरु
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला चूरु
6. श्रीमान ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला चूरु
8. आयुक्त नगर परिषद, जिला चूरु/सुजानगढ़
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त जिला चूरु।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त जिला चूरु को भेजकर लेख है कि आगामी ग्राम सभा में उक्त रिक्त पदों के चयन की कार्यवाही विभागीय परिपत्रों के अनुसार कराना सुनिश्चित करें। साथ ही परियोजना एवं ग्राम पंचायत स्तर पर नियमानुसार विज्ञप्ति का प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

——

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग चूरु